

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 2353  
जिसका उत्तर 13 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

भूजल में बढ़ते प्रदूषक

2353. श्री दुष्यंत सिंह:

श्री अशोक कुमार रावत:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या राजस्थान में और विशेष रूप से झालावाड़-बारां और अन्य भागों में 2024 की वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट में कोई आ रहे संदूषक चिह्नित किए गए हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) सरकार की भूजल संदूषण को कम करने में पहल किस प्रकार प्रभावी रही है और ग्रामीण तथा अविकसित क्षेत्रों में संदूषण को दूर करने के लिए क्या विशिष्ट कार्रवाई की गई है;
- (ग) क्या सरकार भूजल गुणवत्ता प्रबंधन में सुधार के लिए सामुदायिक सहभागिता और निजी क्षेत्र की भागीदारी की अपेक्षा करती है और यदि हां, तो इन सहयोगों का ब्यौरा क्या है और साथ ही राजस्थान जैसे क्षेत्रों में इन्हें किस प्रकार कार्यान्वित किया जाएगा;
- (घ) इन प्रयासों को सीमित अवसंरचना और संसाधनों वाले क्षेत्रों में संधारणीय भूजल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार तैयार किया जाएगा, जिससे सभी समुदायों के लिए स्वच्छ जल तक समान पहुंच सुनिश्चित हो सके; और
- (ङ) सरकार द्वारा जलमग्नता के कारण होने वाले संदूषण के प्रबंधन में की गई पहल किस सीमा तक प्रभावी है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क): केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा तैयार की गई वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 देश भर के 15,259 मॉनिटरिंग केंद्रों से एकत्र किए गए भूजल के नमूनों के विश्लेषण पर आधारित है। इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य पेय और कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले भूजल में विद्युत चालकता (ईसी), फ्लोराइड, आर्सेनिक, भारी धातुओं, नाइट्रेट आदि जैसे विभिन्न जल गुणवत्ता मानकों का अध्ययन करना है। इस रिपोर्ट से यह पता चलता है कि राजस्थान सहित कुछ राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के छिट-पुट पॉकेटों में मानव उपभोग के लिए निर्धारित सीमाओं से अधिक संदूषक विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त इस रिपोर्ट में किसी नए प्रदूषक की पहचान नहीं की गई है।

राजस्थान के झालावाड़, बारां और अन्य जिलों में भूजल गुणवत्ता का पैरामीटर संबंधी विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख): जल राज्य का विषय है। भूजल गुणवत्ता में सुधार और संदूषण के उपशमन के लिए पहल करने सहित भूजल प्रबंधन का दायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों का है। केन्द्र सरकार द्वारा अपनी विभिन्न

केंद्र प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर राज्यों के प्रयासों को समर्थित किया जाता है।

यद्यपि, केन्द्र सरकार द्वारा इस दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदम वार्षिकी, अर्धवार्षिक बुलेटिनों और पाक्षिक चेतावनियों आदि के माध्यम से सीजीडब्ल्यूबी के पास उपलब्ध भूजल गुणवत्ता संबंधी आंकड़ों को नियमित रूप से साझा करना; भूजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में विशेष अध्ययन करना; सीजीडब्ल्यूबी द्वारा नवीन सीमेंट सीलिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए प्रभावित क्षेत्रों में आर्सेनिक सुरक्षित कूपों का निर्माण करना; उद्योग विशिष्ट निस्सरण मानक निर्धारित करना, उद्योगों के लिए बहिस्त्राव उपचार संयंत्रों (ईटीपी) को अनिवार्य बनाना, निस्सरण की स्थायी रूप से ऑनलाइन मॉनिटरिंग आदि कर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा व्यापक प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम का कार्यान्वयन करना है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा राज्यों के साथ साझेदारी में, अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) – हर घर जल योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता और नियमित एवं दीर्घकालिक आधार पर नल के पेय जल की आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके। इस योजना में भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस: 10500 मानक को नल जल सेवा वितरण की गुणवत्ता के लिए निर्धारित मानदंडों के रूप में अपनाया गया है।

इन सभी प्रयासों के परिणामस्वरूप, यह सूचित किया गया है कि अगस्त 2019 से मार्च 2025 तक देश में दो प्रमुख संदूषक अर्थात् आर्सेनिक और फ्लोराइड क्रमशः 14,020 से घटकर 314 और 7,996 से घटकर 251 हो गए हैं। इन शेष रिहाइशों को सामुदायिक जल शोधक संयंत्रों (सीडब्ल्यूपीपी) के माध्यम से स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल भी उपलब्ध कराया गया है।

(ग): केंद्र सरकार द्वारा भूजल प्रबंधन को सार्थक जन आंदोलन बनाने के लिए बड़े पैमाने पर सामुदायिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं:

- i. केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान सहित 7 राज्यों के जल की कमी वाले 80 जिलों में अटल भूजल योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर स्थानीय समुदायों को शामिल करते हुए क्षेत्र विशिष्ट में स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए जल बजट पर आधारित वैज्ञानिक साधनों के माध्यम से मांग पक्ष प्रबंधन करना है।
- ii. केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा जल संदूषण के प्रभावों के विषय में जनता को जागरूक करने और जल गुणवत्ता के लिए स्थायी पद्धतियों को बढ़ावा देने सहित स्थानीय भूजल मुद्दों पर विभिन्न जन संपर्क कार्यक्रम (पीआईपी), जन जागरूकता कार्यक्रम (एमएपी), टियर-II और टियर-III कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन पीआईपी कार्यक्रमों का प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण और विकासशील क्षेत्र होते हैं ताकि देश के सुदूर कोनों में भी इस संदेश का प्रसार किया जा सके।
- iii. जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल गुणवत्ता पर व्यापक रूप से समुदाय को शामिल करने और जल गुणवत्ता के संबंध में जागरूकता सृजन के उद्देश्य से प्रत्येक गांव से पांच व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं की पहचान की जाती है और उन्हें फील्ड टेस्ट किटों (एफटीके) के माध्यम से जल नमूनों की जांच करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। अब तक देश भर में 24 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

- iv. सरकार द्वारा सक्रिय सामुदायिक भागीदारी से वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। स्थानीय समुदाय के साथ समन्वय बनाए रखने और जल संबंधी ज्ञान के प्रसार के लिए देश के विभिन्न जिलों में इस अभियान के तहत जल शक्ति केंद्र (जेएसके) स्थापित किए गए हैं। राजस्थान में अब तक 33 जेएसके स्थापित किए गए हैं।
- v. जल शक्ति अभियान को और अधिक गति प्रदान करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 6 सितंबर, 2024 को सूरत, गुजरात में जल संचय जन भागीदारी: भारत में जल की स्थायित्वता की दिशा में जन भागीदारी अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समग्र समाज और सरकार के दृष्टिकोण के आधार पर सामूहिक प्रयासों के माध्यम से जल की प्रत्येक बूंद का संरक्षण सुनिश्चित करना है।
- vi. इसके अतिरिक्त, जल शक्ति मंत्रालय और इसके संगठनों द्वारा देश में जन जागरूकता और जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक रूप में गैर-सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ कार्य किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि मंत्रालय द्वारा जमीनी स्तर पर कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के साथ कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(घ): जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल नीति, 2012 तैयार की गई है जिसमें देश में भूजल संसाधनों के असमान वितरण और भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए स्थानीय जलवायु कारकों और जलभूवैज्ञानिक स्थितियों पर विचार करते हुए क्षेत्र विशिष्ट दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। इस नीति में राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे तदनुसार अपनी स्कीमें और परियोजनाएं तैयार करें। इसके अतिरिक्त, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सरकार द्वारा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सभी समुदायों के लिए स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन का कार्यान्वयन किया जा रहा है। जेजेएम के तहत राज्य आवंटित राशि में से जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण के लिए 2% तक की राशि का उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, जल जीवन मिशन में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार, निधियों का आबंटन करते समय ग्रामीण जनसंख्या को 30%, ग्रामीण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या को 10% तथा रासायनिक संदूषण से प्रभावित रिहाइशों की जनसंख्या को 10% वेटेज दिया जाता है।

(ङ): समुद्री जल अन्तःप्रवेश के कारण देश के कुछ तटीय भागों में लवणता के प्रवेश की सूचना मिली है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच), रूड़की ने विभिन्न क्षेत्रों में तटीय जलभृतों में लवणता के अन्तःप्रवेश से संबंधित पहलुओं की जांच करने के लिए अनुसंधान अध्ययन किए हैं। इसके अतिरिक्त, सीजीडब्ल्यूबी द्वारा राष्ट्रीय जलभृत मैपिंग और प्रबंधन कार्यक्रम (नैक्यूम) के अंतर्गत जलभृत मैपिंग का कार्य किया गया है और प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सभी तटीय जिलों की रिपोर्टें तैयार कर इसे राज्यों के साथ साझा किया गया है। इन सिफारिशों के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा टाइडल नियामकों, तटबंधों, समुद्री दीवारों, चेक बांधों, पुनर्भरण जलाशयों, पुनर्भरण टैंकों आदि के निर्माण जैसे विभिन्न उपाय किए गए हैं, जिनके प्रभावी रूप से कार्य करने की सूचना प्राप्त हुई है।

\*\*\*\*\*

‘भूजल में बढ़ते प्रदूषक’ के संबंध में दिनांक 13.03.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 2353 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

राजस्थान में वर्ष 2023 के लिए विभिन्न मापदंडों से संबंधित भूजल गुणवत्ता का जिलावार विवरण

क्रम संख्या	जिले (पुनः संगठन सूची तैयार करने से पहले)	विश्लेषण किए गए नमूने	टीडीएस		क्लोरीन		सल्फेट		फ्लोरीन		नाइट्रेट		थोरियम		कैल्शियम		मैग्नीशियम	
			अनुमत्य सीमा से अधिक वाले नमूनों की संख्या	%	अनुमत्य सीमा से अधिक वाले नमूनों की संख्या	%	अनुमत्य सीमा से अधिक वाले नमूनों की संख्या	%	अनुमत्य सीमा से अधिक वाले नमूनों की संख्या	%	अनुमत्य सीमा से अधिक वाले नमूनों की संख्या	%	अनुमत्य सीमा से अधिक वाले नमूनों की संख्या	%	अनुमत्य सीमा से अधिक वाले नमूनों की संख्या	%	अनुमत्य सीमा से अधिक वाले नमूनों की संख्या	%
1	अजमेर	14	6	42.86	2	14.29	4	28.57	6	42.86	6	42.86	4	28.57	0	0	3	21.43
2	अलवर	15	2	13.33	1	6.67	3	20	2	13.33	6	40	4	26.67	2	13.33	2	13.33
3	बांसवाड़ा	14	0	0	0	0	0	0	6	42.86	8	57.14	0	0	0	0	0	0
4	बारां	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3	60	1	20	0	0	0	0
5	बाड़मेर	54	44	81.48	28	51.85	32	59.26	23	42.59	36	66.67	16	29.63	4	7.41	17	31.48
6	भरतपुर	18	10	55.56	5	27.78	6	33.33	6	33.33	5	27.78	7	38.89	1	5.56	6	33.33
7	भीलवाड़ा	27	12	44.44	5	18.52	8	29.63	6	22.22	13	48.15	10	37.04	3	11.11	9	33.33
8	बीकानेर	37	14	37.84	10	27.03	7	18.92	13	35.14	12	32.43	9	24.32	2	5.41	7	18.92
9	बूंदी	9	1	11.11	0	0	2	22.22	3	33.33	1	11.11	1	11.11	0	0	2	22.22
10	चित्तौड़गढ़	5	1	20	0	0	1	20	2	40	3	60	0	0	0	0	0	0
11	चुरू	44	26	59.09	14	31.82	14	31.82	21	47.73	28	63.64	17	38.64	6	13.64	17	38.64
12	दौसा	10	5	50	2	20	4	40	2	20	4	40	4	40	1	10	3	30
13	धौलपुर	6	0	0	0	0	0	0	1	16.67	0	0	0	0	0	0	0	0
14	झुंजरपुर	4	0	0	0	0	0	0	1	25	0	0	0	0	0	0	0	0
15	गंगा नगर	11	3	27.27	2	18.18	2	18.18	4	36.36	5	45.45	4	36.36	1	9.09	3	27.27
16	हनुमानगढ़	16	8	50	1	6.25	6	37.5	5	31.25	9	56.25	7	43.75	4	25	7	43.75
17	जयपुर	32	17	53.13	5	15.63	6	18.75	17	53.13	18	56.25	9	28.13	1	3.13	8	25
18	जैसलमेर	33	21	63.64	13	39.39	9	27.27	15	45.45	13	39.39	7	21.21	0	0	7	21.21
19	जालौर	23	13	56.52	9	39.13	5	21.74	16	69.57	11	47.83	7	30.43	4	17.39	4	17.39
20	झालावाड़	12	0	0	0	0	0	0	1	8.33	4	33.33	0	0	0	0	1	8.33
21	झुनझुनु	19	10	52.63	1	5.26	5	26.32	12	63.16	12	63.16	0	0	0	0	3	15.79
22	जोधपुर	72	49	68.06	34	47.22	25	34.72	44	61.11	41	56.94	22	30.56	6	8.33	18	25
23	करौली	11	6	54.55	2	18.18	3	27.27	2	18.18	7	63.64	3	27.27	2	18.18	3	27.27
24	कोटा	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	नागौर	39	29	74.36	21	53.85	22	56.41	26	66.67	19	48.72	17	43.59	3	7.69	18	46.15
26	पाली	19	9	47.37	5	26.32	7	36.84	14	73.68	9	47.37	5	26.32	1	5.26	5	26.32
27	प्रतापगढ़	7	0	0	0	0	0	0	1	14.29	6	85.71	2	28.57	0	0	1	14.29
28	राजसमंद	15	2	13.33	0	0	3	20	5	33.33	6	40	3	20	0	0	3	20
29	सवाई माधोपुर	11	3	27.27	2	18.18	2	18.18	5	45.45	5	45.45	1	9.09	0	0	2	18.18
30	सीकर	8	1	12.5	0	0	0	0	1	12.5	4	50	0	0	0	0	0	0
31	सिरोही	13	2	15.38	2	15.38	1	7.69	8	61.54	5	38.46	3	23.08	0	0	2	15.38
32	टोंक	14	7	50	3	21.43	4	28.57	5	35.71	8	57.14	3	21.43	1	7.14	5	35.71
33	उदयपुर	12	1	8.33	0	0	0	0	2	16.67	6	50	3	25	0	0	3	25